न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2019/00176) जिला–अजमेर

1. श्रीमती तेजी पत्नी स्व0 श्री भैरू, जाति भांबी
2. रामधन पुत्र श्री घीसा, जाति भांबी
   निवासीगण ग्राम मोराझड़ी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. तेजू पुत्र श्री बींजा जाति भील
2. रामधन पुत्र श्री धूकल जाति भील
   निवासीगण ग्राम सूरजपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
3. रामलाल पुत्र श्री रणजीत जाति भील निवासी ग्राम रामपुरा हनुवंतिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

––––प्रत्यर्थीगण

5. श्रीमती लाडा पुत्री स्वर्गीय श्री भैरू जाति भांबी
6. जडाव पुत्र स्व0 श्री भैरू जाति भांबी निवासीगण ग्राम मोराझडी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

––––प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 17–06–2019
अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2019
बउनवान तेजू वगैरह बनाम तेजी वगैरह

————

उपस्थित– 1. श्री निर्मल कुमार जैन अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री दिनेश कुमार साहू अभिभाषक प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3

निर्णय

दिनांकः— 21—11—2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत वर्तमान खसरा नम्बर 1935/2676 रकबा 1.53 हैक्टर किस्म बीड ग्राम मोराझडी तहसील नसीराबाद की खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17—6—2019 अपील स्वीकार कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश पारित कर दिये। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य—मुख्य तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को कोई नोटस जारी नहीं किये एव ंना ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा आदेश 05 नियम 20 जा0दी0 के प्रावधानों को नजर अन्दाज कर गलत तामीली रिपोर्ट को सही मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। वर्किंग खसरा नम्बर 1530 जिसका कुल रकबा 132 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 1936 रकबा 1.62 हैक्टर जो कि श्री भैरू पुत्र लादू जाति भांबी को आवंटन की गई वर्तमान जमाबंदी के अनुसार खातेदार दर्ज है जिनका स्वर्गवास हो जाने पर अपीलार्थीगण एवं प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण संख्या 5 व 6 वर्तमान जमाबंदी के अनुसार खातेदार दर्ज है तथा विवादित भूमि खसरा नम्बर 1935/2676 किस्म बीड जिस पर अपीलार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं अपीलार्थीगण की खातेदार की भूमि पर आवागमन एक मात्र रास्ता चला आ रहा है। इस प्रकार विवादित भूमि जिस पर प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 का कभी कब्जा नहीं रहने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण के आधार पर अपीलाधीन भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान जमाबंदी के गलत इन्द्राज के आधार पर प्रकरण प्रस्तुत किया जिसकी शिकायत भी अपीलार्थीगण के द्वारा सक्षम अधिकारियों को की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त समस्त तथ्यों की जांच किये बिना वर्तमान जमाबंदी के गलत इन्द्राज के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि वर्किंग खसरा नम्बर 1530 जिसका कुल रकबा 132—15—0 भूमि जिसमें से सक्षम आवंटन अधिकारी के द्वारा जिन व्यक्तियों को आवंटित की गई जिसका इन्द्राज खसरा गिरदवरी सम्वत 2051 से 2053 में दर्ज

है। इस प्रकार अपीलाधीन भूमि जो कि ज्वारा पुत्र गोगा, जाति भील, रामलाल पुत्र रणजीत जाति भील, तेजू पुत्र बींजा जाति भील को कभी आवंटित ही नहीं हुई परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्तमान जमाबंदी में बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के अपीलाधीन भूमि जिसकी किस्म बीड़ है का इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी में गलत दर्ज किया गया तथा वर्तमान जमाबंदी के गलत इन्द्राज के आधार पर प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज की गई इस प्रकार उक्त व्यक्तियों को भूमि आवंटन अधिकारी के द्वारा कभी भूमि आवंटन नहीं की गई।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 एवं उनके पिता को कभी भूमि आवंटित नहीं की गई जो राजस्व भू–अभिलेख से प्रमाणित है। भैरू पुत्र लादू जाति भांबी 10 बीघा भूमि है भैरू का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 खातेदार दर्ज है। शंकर पुत्र श्री मूला नट 10 बीधा भूमि, गुमान पुत्र श्री कूका रेगर 10 बीघा भूमि, भैरू पुत्र श्री नारायण जाति भाबी 10 बीघा, किशन लाल पुत्र नारायण भांबी 10 बीघा एवं लाला पुत्र कूका रेगर 10 बीघा भूमि बिना आवंटन के राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा ली। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–6–2019 की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 4–7–2019 को पटवारी हल्का से होने पर अपील पेश की गई। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–6–2019 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 विवादित आराजियात के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस अपीलार्थीगण को तामील हुआ है। अपीलार्थीगण द्वारा स्वंय के द्वारा नोटिस तामील किया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण की भूमि में जबरन दखलंदाजी करने के कारण पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अपीलार्थीगण का विवादित आराजियात पर कोई हक अधिकार नहीं है। विवादित आराजियात प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा केसर पत्नी छोटू भील से क्रय की गई है जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 421 दिनांक 5–8–2017 स्वीकार किया गया है। प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 की आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने से अपीलार्थीगण के हितो पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा तहसीलदार नसीराबाद को प्रत्यर्थीगण व अपीलार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

की पत्रावली में अपीलार्थीगण को जारी नोटिस जो कि तामील शुदा संलग्न है अपीलार्थीगण बावजूद तामीली उपस्थित नहीं हुए। विवादित आराजियात प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी की आराजियात है। विवादित आराजियात खसरा नम्बर 1935/2676 रकबा 1.53 हैक्टर में से केसर पत्नी छोटू कौम भील के हिस्से के बजाय क्रेता तेजू पुत्र बींजा रामधन पुत्र धूकल जाति भील साकिन सूरजपुरा खातेदार के नाम दर्ज हुई। विवादित आराजियात क्रय करने से अपीलार्थीगण का कोई हक अधिकार निहित नहीं है विवादित आराजियात की पत्थरगढ़ी करने से अपीलार्थीगण के हितो पर काई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा दोनों पक्षों के मध्य भविष्य मे विवाद न हो को मध्यनजर रखते हुए ग्राम मोराझड़ी के हाल खसरा नम्बर 1935/2676 रकबा 1.53 हैक्टेयर की आराजी का तहसीलदार, नसीराबाद को प्रत्यर्थीगण व अपीलार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–6–2019 अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09/2019 तेजू वगैरह बनाम तेजी वगैरह विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर